संख्या-29/2023/बी-2-673/दस-2023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनाँक 19 अक्टूबर, 2023

विषय:- प्रदेश में 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई.पी.सी. मोड में कराये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण ।

महोदय,

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019, दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा प्रदेश में 50.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों का निर्माण ई.पी.सी. मोड से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

2- उक्तवत निर्धारित व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 में निर्धारित व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

(1) ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत गठित ई.पी.सी. मिशन, परियोजना हेतु पी.एम.सी. के चयन एवं ई.पी.सी. कान्ट्रैक्टर के चयन के लिये उत्तरदायी होगा ।

(2) प्रशासकीय विभाग, प्रोजेक्ट के प्रारम्भ से ही योजना के अनुश्रवण में सम्मिलित (involved) रहेगा। प्रशासकीय विभाग, कान्ट्रेक्टर तथा ई.पी.सी. मिशन के मध्य एक त्रिपक्षीय एग्रीमेन्ट किया जायेगा, ताकि प्रशासकीय विभाग परियोजना का प्रभावी अनुश्रवण करने में सक्षम हो सके।

परियोजना की गुणवत्ता के अनुश्रवण हेतु जिन विभागों में इंजीनियरिंग शाखा नहीं है, उनमें यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा । इस कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग, नियोजन विभाग के स्थान पर, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट करेगा । उन विभागों में जहाँ इंजीनियरिंग शाखा है, गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य प्रशासकीय विभागों द्वारा स्वयं किया जायेगा।

(3) जिन प्रशासकीय विभागों के पास अपनी 50.00 करोड़ रुपये से अधिक कार्य कराने की क्षमता वाली (वित्त विभाग शासनादेश दिनाँक 08 सितम्बर, 2015 द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी की राजकीय निर्माण एजेन्सी) निर्माण एजेन्सियाँ हैं, उन विभागों में ई.पी.सी. मिशन का कार्य

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा । इसके लिये मॉडल आर.एफ.पी. तथा एस.ओ.पी. का निर्धारण नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा जिसका अनुपालन सभी प्रशासकीय विभागों को करना होगा ।

जिन विभागों में उक्तानुसार राजकीय निर्माण एजेन्सीज़ नहीं है, उन विभागों में ई.पी.सी. मोड में शासकीय भवनों के निर्माण का कार्य नियोजन विभाग के माध्यम से किया जायेगा ।

3- उपरोक्त अंकित शासनादेश दिनाँक 07 अक्टूबर, 2022 केवल इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा उसकी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी ।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

संख्या-29/2023/बी-2-673(1) /दस-2023, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
5- प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
8- मुख्य अभियन्ता, ई0पी0सी0 मिशन, तकनीकी सेल, नियोजन विभाग, लखनऊ।
9- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।